

न्यायाल अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम/विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम,  
अम्बेडकर नगर।

UPAN0100084822022



स0 प्रकीर्ण वाद सं0 51/2022  
सी.एन. नं0 51/2022  
मनोरमा प्रति यूनियम ऑफ इण्डिया आदि

08.07.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार लगाई गई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। बार बार पुकार लगाने पर भी कोई उपस्थित नहीं आया। कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। पक्षकार विगत कई पेशियों से अनुपस्थित है। पक्षकारों द्वारा प्रकरण की पैरवी नहीं की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकार प्रकरण को प्रचलित रखने में रुचिकर नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार सं0प्र0 वाद पैरवी के अभाव में व पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

### **आदेश**

उपरोक्तानुसार सं0प्र0 वाद पैरवी के अभाव व अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही, पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तार हो।

08.07.2022

(विश्वनाथ)

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1/  
अम्बेडकर नगर।  
जे.ओ.कोड नं0-यू.पी.-5912